न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–177/19 (आरसीएमएस नं. 2019/00226)

01. आनन्द बिहारी बोहरा पुत्र श्री हरिनारायण, जाति पुरोहित, निवासी मकान नम्बर 3439, सूरखुडी, जयलाल मुंशी का रास्ता, चॉदपोल बाजार, जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

01. गोविन्द नारायण पारीक पुत्र श्री नारायण बक्श, जाति पुरोहित, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर (मृतक)

1/1. अटल बिहारी पुत्र श्री गोविन्द नारायण, जाति पुरोहित निवासी प्लॉट नमबर 30–31, शंकर कॉलोनी नया खेड़ा, जयपुर (मृतक)

1/2. श्रीमती कमला देवी पुत्री गोविन्द नारायण पत्नी स्व. श्री मोहन पारीक निवासी 303, चांदपोल बाजार एस.बी.आई. के सामने जयपुर (मृतक)

1/3. हर्षवर्धन उर्फ श्री कुंज बिहारी पुत्र गोविन्द नारायण (मृतक)

1/1/1. नरेन्द्र पुत्र स्व. श्री अटल बिहारी,

1/1/2. सुरेन्द्र पुत्र स्व. श्री अटल बिहारी,

1/1/3. महेन्द्र पुत्र स्व. श्री अटल बिहारी, समस्त जातियान पुरोहित निवासी प्लॉट नम्बर 30, शंकर नगर, नया खेड़ा अम्बाबाडी, जयपुर।

1/1/4. श्रीमती शशिकला पुत्री स्व. श्री अटल बिहारी पत्नी श्री जगमोहन पारीक, जाति पुरोहित निवासी कान महाराज का बड, पुरानी बस्ती, जयपुर।

1/1/5. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पुत्री स्व. श्री अटल बिहारी पत्नी संजय पारीक जाति ब्राहाम्ण निवासी पी वालों का कुंआ, चौमू, जयपुर।

1/2/1. सुभाष पुत्र स्व श्री मोहन,

1/2/2. नवीन पुत्र स्व. श्री मोहन, जातियान ब्राहाम्ण निवासी एस. बी.आई. बैंक सामने चांदपोल बाजार, जयपुर।

1/2/3. श्रीमती चेतना पुत्री स्व. श्री मोहन पत्नी वेदप्रकाश पारीक जाति ब्राहाम्ण निवासी बडोदिया बस्ती, रेल्वे स्टेशन, जयपुर।

1/3/1. श्रीमती सोहनी देवी पत्नी श्री हर्षवर्धन,

1/3/2. मधुसुदन पुत्र स्व श्री हर्षवर्धन, जाति ब्राहाम्ण निवासी–36, गोकुलपुरी एयरपोर्ट के सामने, जयपुर।

1/3/3. श्रीमती चन्द्रकला पुत्री स्व. श्री हर्षवर्धन पत्नी श्री श्याम सुन्दर पारीक निवासी बद्री की गली, गेटोर रोड़, ब्रहाम्पुरी जयपुर।

1/3/4. श्रीमती कुन्दु पुरोहित पुत्री स्व. श्री हर्षवर्धन पत्नी श्री आलौक पारीक निवासी–2–ख–7, कमला नेहरू नगर केशुपुरा अजमेर रोड़, जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. राजबिहारी पुत्र स्व. श्री रामजस निवासी झरडा पुरोहित जी पुरानी बस्ती जयपुर हाल निवासी ए–42, विश्वकर्मा रोड़, टाटा नगर शास्त्री नगर जयपुर।

P.T.O.

(7)

3. श्रीमती राज पुत्री स्व. श्री रामजस पत्नी स्व. श्री ओमप्रकाश पारीक, जाति ब्राहाम्ण निवासी न्यू सांगानेर रोड़, सोड़ाला, जयपुर।
4. श्रीमती उषा पुत्री स्व. श्री रामजस पत्नी श्री विनोद पारीक जाति ब्राहाम्ण निवासी 22, वैष्णों रेजीडेन्सीयल, कालवाड़ रोड, जयपुर।
5. तहसीलदार जयपुर तहसील कार्यालय बनीपार्क जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 18.03.2020

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 29.07.2019 (प्रकरण संख्या 6/2019) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 26.06.2019 को नोटिस जरिये अखबार व सामान्य जारी किये गये, दिनांक 03.07.2019 को अपीलार्थी की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण गोविन्दनारायण बनाम अटल बिहारी के स्थगन आदेश से अवगत कराया गया जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 08.07.2019 दी गई, दिनांक 08.07.2019 को प्रार्थीगण/अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रस्तुत की गई, रेस्पोडेन्ट द्वारा साक्ष्य, शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये तथा अपीलान्ट को जिरह हेतु अवसर दिया गया, दिनांक 22.07.2019 को अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को स्थगन आदेश व जिरह हेतु न्यायहित में एक अवसर दिया गया, दिनांक 25.07.2019 को जिरह बंद फरमा दी गई तथा अपीलार्थी की ओर से संशोधित उनवान पेश किये गये तर्थाी पत्रावली आदेश में लगा दी गई तथा दिनांक 29.07.2019 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरित होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर ने अपील संख्या 253/1968 का निस्तारण दिनांक 22.05.1970 को कर दिया था और उस निर्णय में पक्षकारों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया था, उक्त अपील हस्तगत प्रकरण में जीवित प्रत्यर्थी संख्या 2 राजबिहारी पुत्र श्री रामजस द्वारा प्रस्तुत की गई थी जो उक्त अपील में अपीलान्ट संख्या 2 था जिसे उक्त अपील की प्रारम्भ से ही जानकारी रही थी और उसने 1970 से 2019 तक लगभग 49 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त एक मियाद बांधित प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम विधिक तथ्य पर गौर किये बिना ही उपरोक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2019 पारित कर दिया जो आदेश विधि विधान व विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों विरूद्ध होने के कारण कतई खारिज किये जाने योग्य है। उन्होंने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी के हक में खोले गये नामान्तरकरण की जो अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर के यहॉ प्रस्तुत की गई उसमें उक्त न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु प्रेतिप्रेषित किया गया है

संभागीय आयुक्त
जयपुर

इसलिये उसी प्रकरण पर अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई कर अपना आदेश पारित करना चाहिये था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पत्रावली पर कोई कार्यवाही ना करके प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत नवीन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर आदेश पारित किया है जो प्रार्थना पत्र पेश करने की मियाद निकल चुकी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान दिये बिना ही उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट द्वारा एक वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर के समक्ष उनवानी गोविन्दनारायण बनाम अटल बिहारी मुकदमा संख्या 32/2011 प्रस्तुत कर रखा था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय को बहैसियत पक्षकार रेस्पोडेन्ट संयोजित कर रखा है, उक्त वाद आज भी उक्त न्यायालय में विचाराधीन है जिसकी प्रति भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, अधीनस्थ न्यायालय के उस प्रकरण में स्वयं पक्षकार होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय को कतई कोई अधिकार नही था कि वह जिस मामले में स्वयं पक्षकार है उस मामले में वह किसी प्रकार का निर्णय पारित कर सके इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश बिना तथ्यों को देखे व प्रकरण की गंभीरता को समझे बिना ही पारित किया है, जो आदेश सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि विधि का यह सिद्धान्त है कि जब तक अधिकारों की घोषणा का वाद विचाराधीन है तो नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिये, अपीलान्ट द्वारा उक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे तथा वाद में स्थगन आदेश पारित था उसकी प्रति भी अपीलान्ट ने प्रस्तुत कर दी थी किन्तु उक्त समस्त तथ्यों पर गौर न कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में एक अहम कानूनी भूल कारित की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट व उसके अभिभाषक हमेशा रेस्पोडेन्ट से जिरह करने हेतु न्यायालय में उपस्थित रहे है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का जिरह का अवसर बंद कर दिया गया तथा अपीलान्ट के अभिभाषक की पत्रावली व आर्डरसीट में अनुपस्थिति दर्ज कर दी गई और अपीलान्ट को गवाह प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नही किया जाकर सम्पूर्ण कार्यवाही में जल्दबाजी कर बिना बहस का अवसर दिये ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने की अहम कानूनी भूल की गई है। उन्होने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 145 विधिवत दर्ज होकर तस्दीक किया गया था, उपरोक्त आराजीयात के पूर्व खातेदारान श्री बक्श व नारायण बक्श पुत्र देवबक्श उर्फ बाछूलाल के मध्य आपस में हुऐ समझौते के तहत ग्राम जयसिंहपुरा खौर व अन्य स्थान पर स्थित करीब 70 बीघा भूमि अपीलान्ट के बुर्जगान के नाम मिति फागण बुध पंचम सोमवार सम्वत 1973 को भाई बंटवारे में स्व. हरिनारायण पुत्र श्योबक्स मूलचन्द पुत्र रामबक्स को दी गई थी और उसी भाई बंटवारे में वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी के दत्तक पिता हरिनारायण को प्राप्त हुई थी, तदोपरान्त हरिनारायण का देहान्त हो जाने पर उक्त वादग्रस्त आराजी का फौती नामान्तरकरण अपीलार्थी के हक में खोला गया था, यह सारी स्थितियॉ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट वर्णित की गई थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त परिस्थितियों पर कोई गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2019 निरस्त किया जावे तथा वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में अपीलार्थी के हक में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 145 दिनांक 02.01.1967 को पुनः राजस्व रिकार्ड में अमल दराज किये जाने के आदेश प्रदान करने क कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए एवं अपनी लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम अपील संख्या 253/1967 नामान्तरकरण संख्या 145 ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा खौर तहसील जयपुर के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर में प्रस्तुत की थी, उक्त अपील का निस्तारण दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 22.05.1970 को अंतिम रूप से निर्णित कर दिया गया, निर्णय के अनुसार आदेश जैर अपील निरस्त किया जाकर इस प्रकरण को पुनः विरासत की जॉच कर निर्णय हेतु भेजा गया, उक्त निर्णय की पालना में नामान्तरकरण पंजिका में नामान्तरकरण संख्या 145 में आदेशानुसार नामान्तरकरण निरस्त करने का नोट अंकित किया गया है, विवादित नामान्तरकरण की पुनः जॉच के सदर्भ में रेस्पोडेन्ट की ओर से एक प्रार्थना पत्र न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर के रिमाण्ड आदेशानुसार विरासत की जॉच कर निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जरिये नोटिस दिनांक 26.06.19 एवं जरिये समाचार पत्र दिनांक 27.06.2019 में प्रकाशित करवाकर तलब किया गया जिस पर अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भॅवर लाल वर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं अपीलान्ट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, जवाब के अनुसार अपीलान्ट आनन्द बिहारी ने जवाब की मद संख्या 6 में दर्शायी गयी वंशावली के अनुसार अपने आप को हरिनारायण के गोद जाने का तथ्य स्वीकार किया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के अधिवक्ता को गवाहन से जिरह करने के लिऐ प्रर्याप्त अवसर दिये गये लेकिन अपीलान्ट के अधिवक्ता जिरह के लिऐ उपस्थित नही आये इसलिये गवाहन से जिरह का अवसर बंद किया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा उसके समर्थन में प्रस्तुत किये गये गवाहन व उनके द्वारा प्रदर्शित करवाये गये दस्तावेजात उपरोक्त वर्तमान जमाबन्दी, नामान्तरकरण संख्या 145 की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित निर्णय अपीलान्ट आनन्द बिहारी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया वकालतानामा जिसमें अपीलान्ट आनन्द बिहारी ने अपने आप को हरिनारायण का पुत्र बताया है तथा अपीलान्ट ने इस तथ्य को अपने जवाब में प्रस्तुत की गई वंशावली में भी अपने आप को हरिनारायण का पुत्र बताया है, अपील के निर्णय में भी कुर्सीनामा के अनुसार आनन्द बिहारी को हरिनारायण का गोद पुत्र बताया गया है, अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर में प्रस्तुत अपील के विचारण के दौरान भी अपीलान्ट ने कुर्सीनामा का कोई खण्डन नही किया है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट ने किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नही दी है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि विवादित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 555 से 562 एवं 564 कुल किता 9 कुल रकबा 7 बीघा 7 बीस्वा ग्राम जयसिंहपुरा खौर तहसील व जिला जयपुर में स्थित है, उक्त भूमि का पूर्व राजस्व रिकार्ड श्री बक्श पुत्र बाछूलाल के नाम से दर्ज व अंकित रहा है ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा खौर के पदाधिकारियों से सांठ–गांठ कर अपीलान्ट ने विवादित नामान्तरकरण बिना किसी अधिकार के गैर–कानूनी रूप से अपने पिता हरिनारायण को श्री बक्श का पुत्र बताकर अपने पिता का मृतक बातते हुये अपने नाम दर्ज करवा लिया जो कानूनन विधि विरूद्ध है। उन्होने आगे कथन किया है कि वर्तमान में ग्राम जयसिंहपुरा खौर नगर निगम जयपुर के क्षेत्राधिकार में आ चुका है, ग्राम पंचायत का अस्तीत्व खत्म हो चुका है, काफी लम्बे समय से अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा अपील को रिमाण्ड फरमाये जाने के आदेश की पालना नही हो सकी है, रेस्पोडेन्ट के पूर्वज गोविन्दनारायण व हर्षवर्धन का स्वर्गवास हो चुका है, इस कारण उपरोक्त अपील में दिये गये निर्णय की जानकारी व पालना की कार्यवाही सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट को जानकारी नही हो सकी, रेस्पोडेन्ट ने राजस्व विभाग से विवादित नामान्तरकरण की प्रतिलिपि प्राप्त की तो उसमें लगे हुये अतिरिक्त जिला कलक्टर के आदेश के नोट से यह जानकारी प्राप्त हुई, तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर में प्रस्तुत अपील व आदेश की प्रतिलिपि दिनांक 24.08.2018 को प्राप्त की, उक्त प्रतिलिपि प्राप्त होने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट ने अपने अधिवक्ता से राय करके उपरोक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया था, प्रकरण विरासत के नामान्तरकरण से सम्बन्धित रहा है इसलिये लिमिटेशन का इस प्रकार के नामान्तरकरण व आदेश में किसी प्रकार को कोई कानूनी महत्व नही रहता है।कि

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से जवाब प्रस्तुत करके जवाब के पैरा नम्बर 6 में अपीलान्ट का सजरा खानदान दर्शाया गया है जिसमें हरिनारायण को श्योबक्श का लड़का बताया गया है और आनन्द बिहारी अपीलान्ट को हरिनारायण के गोद जाना दर्शाया गया है इस मद में दर्शायी गई वंशावली का रेस्पोडेन्ट की वंशावली से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही होने के कारण अपीलान्ट की यह अपील खारिज किये जाने योग्य है। अत: अपीलान्ट की अपील कानूनी रूप से सारहीन होने के कारण खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी श्रीबक्ष एवं नारायणबक्ष की आराजी है, जो राजस्व रिकार्ड में श्रीबक्ष के ही नाम दर्ज रिकार्ड रही है तथा श्रीबक्ष के देहान्त होने पर उक्त वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण संख्या 145 अपीलान्ट के नाम ग्राम पंचायत द्वारा 05.03.1967 स्वीकार किया गया है जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के पूर्वज द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार कर निर्णय दिनांक 22.05.1970 से प्रकरण रिमाण्ड किया गया है जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है तथा पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील में अंकित कुर्सीनामा में अपीलान्ट आनन्द बिहारी को हरिनारायण के गोद जाना अंकित किया है तथा उक्त कुर्सीनामा का खण्डन

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट आनन्द बिहारी द्वारा न्यायालय के समक्ष नही किया गया है जिस तथ्य का उल्लेख न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.05.1970 में भी किया गया है, इसी प्रकार अपीलान्ट आनन्द बिहारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर के समक्ष प्रस्तुत जवाब में अंकित सजरा खानदान में एवं शपथ पत्र में स्वयं को हरिनारायण का गोद पुत्र अंकित किया है तो फिर ऐसे में रेस्पोडेन्ट के पूर्वज के नाम दर्ज आराजी पर अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई हक, हकूक, अधिकार कानूनन विरासतन प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2019 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2019 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 18.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर